# पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विशेष कानून

## प्रस्तावना

वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूलभूत अधिकारों में एक अहम अधिकार है। दो विश्व युद्धों के बाद पिछले कई दशकों के दौरान प्रेस की आज़ादी और सुरक्षा को दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र की एक अहम कसौटी माना गया है और इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 19 में जगह दी गई है। पिछले एक दशक के दौरान पत्रकारों की लक्षित हत्या और उन पर किए जाने वाले हमलों, खासकर जंग के दौरान या कॉरपोरेट ताकतों द्वारा संसाधनों की लूट की स्थितियों में होने वाले हमलों की घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय संगठन कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने पर्याप्त संकलित किया है- जिसके निष्कर्षों के अनुसार ऐसे सात फीसदी से कम मामलों में ही दोषी को सज़ा हो पाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दशक भर पहले पारित संकल्प संख्या 1738 में विशेष रूप से संघर्षरत इलाकों में काम कर रहे पत्रकारों पर हमले की निंदा की गई थी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत पत्रकारिता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक देशों में सम्मिलित हो चुका है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नामक एक अर्ध-न्यायिक संस्था ने देशा के 11 राज्यों का दौरा करने के बाद श्रमजीवी पत्रकारों पर होने वाले हमलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कहती है कि 1990 के बाद भारत में 80 पत्रकार मारे गए हैं और अधिकतर मामलों में, सिवाय शक्ति मिल गैंगरेप के, बाकी सारे मुकदमे आज भी अदालतों में लंबित हैं और कुछ मामलों में तो पुलिस ने अब तक आरोपपत्र दायर नहीं किया है। बमुश्किल एक महीने से ज्यादा के वक्फ़े में चार पत्रकारों की कार्यस्थल पर मौत के मद्देनज़र प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट में मांग उठाई थी कि देश भर में पत्रकारों की सुरक्ष के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। पीसीआइ की यह रिपोर्ट केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को 2015 में संसद के मानसून सत्र के दौरान सौंपी गई थी।

नया कानून बनाने के लिए अपनी सिफारिशों के तहत पीसीआइ रिपोर्ट कहती है कि पत्रकारों पर हमले और उन्हें मिलने वाली धमकियों को संज्ञेय अपराध करार दिया जाए और ऐसे मामलों की जांच एक विशेष कार्यबल को सौंपी जाए या फिर सीबीआइ जैसी राष्ट्रीय स्तर की एक जांच एजेंसी पीसीआइ की निगरानी में इनकी जांच करे। रिपोर्ट यह भी सिफारिश करती है कि इन

मामलों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए और इनकी सुनवाई विशेष अदालतों में हो। रिपोर्ट कहती है कि ऐसे पत्रकारों के परिवारों को हत्या के मामले में 10 लाख और गंभीर चोट के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाए। पीसीआइ की रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि सभी राज्य सरकारें एक प्रातिनिधिक उच्चाधिकार समिति का गठन करें जो पत्रकारों पर हमले और उनके खिलाफ दायर फर्जी मुकदमों की जांच कर सके।

छत्तीसगढ़ पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का पर्याप्त गवाह रहा है, खासकर उन पत्रकारों पर जो दक्षिणी बस्तर के संघर्षरत इलाकों में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्र पत्रकार नेमिचंद जैन की लाश 12 फरवरी, 2013 की सुबह बरामद हुई थी जब वे सुकमा जिले स्थित अपने गांव नामा के लिए निकले थे। माओवादियों पर उनकी हत्या का संदेह था। अप्रैलदइससे पहले 11 अप्रैल, 2012 को स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका के जिला ब्यूरो प्रमुख कमल शुक्ला पर कांकेर स्थित उनके दफ्तर में लोहे की छड़ों से हमला किया था। इससे भी पहले 20 दिसंबर, 2010 को कुछ हमलावरों ने दैनिक भास्कर के पत्रकार सुशील पाठक को करीब से गोली मार दी थी जब वे देर रात की पाली के बाद बिलासपुर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे। जनवरी 2011 में नई दुनिया अख़बार के संवाददाता उमेश राजपूत को गरियाबंद जिले स्थित ग्राम छूरा में उनके निवास पर गोली मार दी गई। कई अन्य पत्रकार यहां दुर्भावना से लगाए गए मानहानि के मुकदमे ढेलने को मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेट या ताकतवर नौकरशाहों के कुकृत्यों को सामने लाने का काम किया था। कुछ ऐसे अख़बार जिन्होंने ताकतवर लोगों के प्रच्छन्न हितों के खिलाफ लिखा, उन पर प्रयोजित हमले करवाए गए।

पिछले एक वर्ष के दौरान बस्तर संभाग में चार पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। संतोष यादव को पुलिस ने 29 सितंबर, 2015 को और आदिवासी पत्रकार सोमारू नाग को 16 जुलाई, 2015 को बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया और उन पर माओवादियों का सहयोगी होने का आरोप लगाया गया, जबकि वे पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ़ खबरें लिखने के लिए जाने जाते थे। इस साल 21 मार्च, 2016 को पत्रकार प्रभात सिंह को पुलिस ने उठा लिया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का वॉट्सऐप संदेश में मज़ाक उड़ाने के आरोप में उनके ऊपर सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत धाराएं लगा दी गईं। बाद में उनके ऊपर कुछ और मुकदमे कायम किए गए। इसके ठीक बाद 26 मार्च, 2016 को पत्रकार दीपक जायसवाल को सात महीने पुराने एक मामले में प्रभात सिंह के सह-आरोपी के बतौर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दोनों पर एक स्कूल में सरकारी नौकर के काम में बाधा डालने और हमला करने का आरोप लगाया गया जहां वे संस्थागत नकल के खिलाफ रिपोर्ट करने गए थे।

छत्तीसगढ़ के पत्रकार इन गिरफ्तारियों को राजनीति-प्रेरित तथा गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की रिपोर्टिंग के बदले की गई प्रतिक्रिया मानते हैं, लिहाजा उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है जिसकी मांग है कि गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए और राज्य ऐसे हालात कायम करे जहां पत्रकार बिना डर या उत्पीड़न की आशंका के मुक्त होकर यात्रा कर सकें और अपना काम कर सकें। इस मुहिम के तहत पत्रकारों की यह भी मांग है कि राज्य एक ऐसा कानून बनाकर लागू करे जो पत्रकारों को मनमर्जी गिरफ्तारी और शारीरिक हिंसा से बचा सके।

इसकी प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ पीयूसीएल ने एक विधेयक का मसविदा तैयार किया है जिसे वह संज्ञान के लिए प्रस्तावित करता है।

==========

**पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विशेष अधिनियम**

1. यह कानून समूचे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा।

2. इस कानून के अंतर्गत पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आयोग (आगे से केवल आयोग) का गठन एक स्वायत्त इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किया जाएगा जिसकी एक कानूनी वैधता होगी और इसकी अपनी परिसंपत्तियां होंगी, इसके पास तकनीकी और प्रबंधकीय स्वायत्तता होगी तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्ध-न्यायिक अधिकार होंगे।

3. **आयोग के उद्देश्य:** आयोग के उद्देश्य निम्न होंगे:

क. यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार उन लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने, सम्मान करने और उसे प्रदान कराने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी रूप से करे जो छत्तीसगढ़ राज्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी व पत्रकारिता के पेशेवर अभ्यास और मानवाधिकारों की रक्षा व प्रसार के परिणामस्वरूप खतरे में हैं; और

ख. इस संदर्भ में सार्वजनिक नीतियों का प्रसार करना, राज्य की विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण और उनके बीच समन्वय तथा उन सरकारी अधिकारियों और निजी तत्वों की ऐसी कार्रवाइयों को रोकना जो उक्त अधिकारों का उल्लंघन करती हों।

4. परिभाषाएं: इस कानून के उद्देश्यों को साकार करने के लिए निम्न शब्दों/पदों को नीचे दी गई परिभाषाओं के मुताबिक समझा जाना चाहिए

क. ऐसा कोई भी कृत्य जो पत्रकारों और संबद्ध पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, उनके परिवार या फिर उनके कार्य से जुड़े अन्य किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक अखण्डता, स्वतंत्रता या सुरक्षा समेत संपत्ति या अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन करता हो।

ख. लाभार्थी: जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कानून के अंतर्गत बचावकारी उपाय, सुरक्षात्मक उपाय, तात्कालिक सुरक्षा के उपाय और सामाजिक उपाय प्रदान किए जाते हों।

ग. संबद्ध पत्रकार (कोलैबोरेटर) : कोई भी व्यक्ति जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और/या सूचना के प्रसारण को अपनी प्राथमिक अथवा महत्वपूर्ण अथवा पर्याप्त गतिविधि बनाता हो, चाहे अंतरिम अथवा नियमित आधार पर, चाहे वह इस कार्य व मुआवजे के लिए यूनियन में पंजीकृत हो या नहीं और मान्यता प्राप्त हो या नहीं।

घ. असामान्य प्रक्रिया: ऐसी प्रक्रिया जो लाभार्थी के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और अखण्डता के संरक्षण हेतु तात्कालिक बचावकारी उपायों के मद्देनज़र अपनायी जाए।

च. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: किसी भी किस्म की सूचना का प्रसारण और विचारों का प्रकाशन हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह निजी रूप से ऐसा करे या सामूहिक स्तर पर; और ऐसा करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे किसी भी प्रशासनिक या संस्थागत या निजी बाधा अथवा हमले का शिकार न होना पड़े, केवल इस वजह से कि ऐसी सूचना या विचारों के चलते प्रशासनिक, सामाजिक या राजनीतिक ताकतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हों; और किसी भी प्रकार के मीडिया के माध्यम से इस किस्म का प्रसारण या अभिव्यक्ति उनके साथ नस्ल, जाति, समुदाय, धर्म, लिंग, यौनवृत्ति, भाषा, मूल राष्ट्रीयता, जातीयता या राजनीतिक दबाव के नाम पर भेदभाव का बायस न बनने पाए।

छ. मानवाधिकार रक्षक: ऐसे व्यक्ति जो निजी रूप से अथवा किसी समूह, संगठन या सामाजिक आंदोलन के सदस्य के रूप में, साथ ही वे सरोकारी व्यक्ति, समूह, संगठन या सामाजिक आंदोलन, वैतनिक या अवैतनिक, जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रसार और / या संरक्षण है और जिन्हें ऐसी सकारात्मक स्थितियों को पैछा करने के लिए कुछ चीज़ों की गारंटी चाहिए होती है, मसलन, संगठित होने, आपस में जुड़ने, विचार रखने, अभिव्यक्ति, प्रदर्शन करने, विरोध करने और दस्तावेजीकरण करने की आज़ादी; राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तक पहुंच और उनसे संवाद; मानवाधिकारों पर नए विचारों को विकसित करने और परिचर्चा करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों और सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच और न्याय के अनुपालन व प्रशासन संबंधी कार्रवाइयों के माध्यम से सूचना और न्याय तक पहुंच, और अन्य कोई भी सुविधा जो अपनी कार्रवाइयों के लिए उन्हें ज़रूरी लगती हों।

ज. पत्रकार: ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरतने और / या सूचना के प्रसारण को अपना प्राथमिक, अहम या पर्याप्त काम बनाया हो; या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका काम सूचना एकत्रित करना, जमा करना, पैदा करना, प्रसंस्करित करना, संपादित करना, टिप्पणी करना, उसकी

समीक्षा करना, प्रसारित करना, प्रकाशित करना या सूचना को किसी माध्यम से प्रदान करना या ऐसा कोई भी संचार करना हो जिसे छापा जा सके, डिजिटल या तस्वीर के रूप में प्रसारित किया जा सके, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास पत्रकारिता करने की योग्यता या तजुर्बा हो।

झ. मीडिया: संचार का ऐसा कोई भी माध्यम जिसका इस्तेमाल नियमित रूप से सूचना के प्रसारण और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता हो, जैसे मुद्रित माध्यम- अखबार, पत्रिकाएं और जर्नल; दृश्य-श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, सामुदायिक रेडियो, वीडियो पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें राजकीय और निजी टेलीविज़न चैनल भी आते हैं; और डिजिटल मीडिया, जिसमें वेब पत्रिकाएं इत्यादि शामिल हैं।

ट. याचिकाकर्ता (एकाधिक): व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो इस कानून में स्थापित आयोग के समक्ष बचावकारी उपायों, सुरक्षात्मक उपायों या तात्कालिक सुरक्षात्मक उपायों के लिए आवेदन करता हो।

ठ. बचावकारी उपाय: ऐसे कृत्यों और साधनों का समुच्चय जिनका लक्ष्य पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ़ हो रहे हमले को रोकना है, जिसमें ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का विकास भी शामिल है जिनका लक्ष्य ऐसे हमलों के जोखिम को कम करना हो, ऐसे हमलों के कारणों से लड़ना हो और ऐसे हमलों को दोबारा होने से रोकना हो।

ड. सुसुरक्षात्मक उपाय: ऐसे कृत्यों और सुरक्षा उपायों का समुच्चय जिनका काम जोखिम से निपटना और लाभार्थी के जीने के अधिकार, अखण्डता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना हो।

ढ. सुरक्षा की योजना: ऐसी कार्रवाइयां जो लाभार्थी की क्षमता में संवर्द्धन करें और उसकी अरक्षितता, उसे होने वाले खतरों व जोखिम के कारणों में कमी लाएं, जिसके लिए उपयुक्त दिशानिर्देश, बचावकारी उपाय और / या सुसुरक्षात्मक उपाय आयोग द्वारा प्रदान किए जाएंगे ताकि उसे अपना काम या पेशा करने की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके।

त. सामाजिक उपाय: ऐसी कार्रवाइयां और साधन जिससे जरूरी पड़ने पर किसी जिला विशेष में किसी लाभार्थी और उसके परिवार की सुरक्षा, अस्तित्व और सातत्य को सहयोग दिया जा सके।

थ. तात्कालिक सुरक्षात्मक उपाय: ऐसी कार्रवाइयां और साधन जिनसे तत्काल प्रभाव से लाभार्थी की जिंदगी, अखण्डता, सुरक्षा और आज़ादी की रक्षा की जा सके।

5. संस्थागत संरचना - आयोग के छह घटक होंगे:
क. प्रशासकीय बोर्ड
ख. कार्यकारी परिषद
ग. मामले दर्ज करने और तीव्र कार्रवाई करने के लिए एक इकाई
घ. जोखिम आकलन इकाई

च. बचाव, फॉलो-अप और विश्लेषण के लिए एक इकाई
छ. विशेष जांच इकाई

6. आयोग के अधिकार- आयोग को निम्न अधिकार होंगे:

क. पत्रकारों, संबद्ध पत्रकारों और अन्य मानवाधिकार रक्षकों के समग्र संरक्षण को सशक्त करने पर लक्षित कानूनी पहलों, नियमन या सार्वजनिक नीतियों का प्रस्ताव करना या उनका प्रसार;
ख. मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के अधिकार के साकारीकरण और मान्यता का प्रसार;
ग. मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली सार्वजनिक नीतियों की राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वय और प्रसार;
घ. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ उन विशिष्ट गतिविधियों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वय और प्रसार जो यह सुनिश्चित करते हों कि पत्रकारों, संबद्ध व्यक्तियों और अन्य को उनके कार्यकलाप जारी रखने की परिस्थितियां मुहैया करायी जाएं;
च. पत्रकारों, संबद्ध व्यक्तियों और अन्य मानवाधिकार रक्षकों पर हमले या धमकी या खतरों का पता लगाना और उनकी जांच करना ताकि राज्य के संबंधित अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश प्रदान किए जा सकें;
छ. जांच-पड़ताल के संबंध में राज्य के अधिकारियों को समन जारी करना और उससे जुड़े प्रासंगिक काग़जात की मांग करना, सुरक्षा और बचाव के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करना तथा ऐसे निर्देशों का मूल्यांकन व समीक्षा;
ज. मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करने के अधिकार पर लोकसेवकों के विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रसार, जिसमें हाशिये के लोगों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और लैंगिकता व यौनिकता के मुद्दों के प्रति संवेदन भी शामिल हो;
झ. सार्वजनिक, निजी और सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी और ऐसे विधायी व प्रशासनिक पहलों का प्रसार जो मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा की गारंटी देते हों;
ज. ऐसा कोई अन्य अधिकार जो उसे समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जाए।

7. आयोग का दायरा- आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग निम्न की रक्षा के लिए करेगा:

क. पत्रकार या संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक, जो मानवाधिकारों की रक्षा करने या वाणी अथवा अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने पर हमले का शिकार हो रहा हो;
ख. उपर्युक्त (क) में वर्णित पत्रकार, संबद्ध व्यक्ति या मानवाधिकार रक्षक का वैवाहिक अथवा अन्यथा साथी, प्रत्यक्ष परिजन या उस पर निर्भर जन;

ग. ऐसे लोग जो किसी एक समूह, संगठन या सामाजिक आंदोलन की समान गतिविधियों में सहभागी हों, संबद्ध हों या परस्पर जुड़े हों, जैसे कि (क) में;
घ. व्यक्ति, समूह, संगठन या सामाजिक आंदोलन की संपत्ति, माल या अन्य वस्तु, और;
च. अन्य व्यक्ति जो जोखिम विश्लेषण में वर्णित हों।

8. राज्य निम्न तरीकों से सुनिश्चित करेगा कि यह आयोग प्रभावी ढंग से काम कर सके।

क. किसी तय स्रोत से आयोग को पर्याप्त व नियमित अनुदान देकर जिससे एक स्थायी अधिरचना का निर्माण हो सके और उसे बनाए रखा जा सके, और उसके पास स्थायी कर्मचारियों का एक ढांचा भी हो सके;
ख. गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, आदिवासी कल्याण और सामाजिक न्याय मंत्रालय से जुड़े ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में आयोग की विभिन्न इकाइयों के भीतर प्रशासनिक इकाई की सिफारिशों पर तैनात करना जिनके पास मानवाधिकारों की रक्षा के संबंध में तजुर्बा, प्रशिक्षण और नज़रिया हो। प्रशासनिक इकाई के पास तैनाती की अवधि को विस्तार देने या समाप्त करने का भी अधिकार होगा जिससे पहले संबद्ध अधिकारी को अपनी बात रखने का एक अवसर दिया जाएगा;
ग. विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों और पुलिस विभाग द्वारा आयोग के विभिन्न घटकों की सिफारिशों के कठोर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

9. मामला दर्ज कराना: कोई भी पत्रकार, संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक जो धारा 4 की परिभाषा के अनुसार अपनी गतिविधियों के चलते हमला या हमले की धमकी झेल रहा हो, या उसके प्रतिनिधि के तौर पर कोई तीसरा पक्ष आयोग में आवेदन कर सकता है या मामले दर्ज करने व तीव्र कार्रवाई करने संबंधी आयोग की इकाई से संपर्क कर सकता है, जिसमें हमले या हमले की धमकी का विवरण देना होगा।
क. आयोग अपने पास लाए गए ऐसे मामले पर स्वत: संज्ञान ले सकता है जिसमें किसी पत्रकार/संबद्ध पत्रकार या एक मानवाधिकार रक्षक को उसकी जान, स्वतंत्रता, शारीरिक अखण्डता या सुरक्षा का खतरा हो, तथा इस सूचना को मामले दर्ज करने व तीव्र कार्रवाई करने वाली इकाई के पास अग्रसारित कर सकता है।
ख. किसी पत्रकार/संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक से जुड़े आपराधिक मामले में जहां उसकी गिरफ्तारी या कैद आसन्न हो, संबद्ध मामले को संबद्ध पुलिस विभाग द्वारा मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और कोई भी गिरफ्तारी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसे आयोग की मंजूरी न मिल जाए। किसी आपराधिक मामले का आरोपी पत्रकार/संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक होने के योग्य है या नहीं, यह मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा।
ग. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई याचिकाकर्ता के आवेदन या आयोग द्वारा भेजी गई सूचना को स्वीकार करेगी और तात्कालिक कार्रवाई के लिए उसका मूल्यांकन करेगी।

घ. यदि यह तय पाया गया कि किसी व्यक्ति की जिंदगी, उसकी शारीरिक अखण्डता या स्वतंत्रता पर खतरा आसन्न है, तब उस मामले में असामान्य प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा।
च. यदि यह तय पाया गया कि प्रथम दृष्टया उक्त पत्रकार, संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक पर हमला हुआ है या उसे धमकी मिली है लेकिन किसी की जिंदगी, उसकी शारीरिक अखण्डता या स्वतंत्रता पर खतरा आसन्न नहीं है, ऐसे में सामान्य प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

10. असामान्य प्रक्रिया- एक बार मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई ने तय कर लिया कि असामान्य प्रक्रिया अपनायी जानी है, ऐसे में

क. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई आवेदन या सूचना प्राप्त करने के अधिकतम तीन घंटे के भीतर यह तय करेगी कि सुरक्षा के लिए कौन सा तात्कालिक उपाय अपनाया जाए।
ख. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई इस उपाय पर फैसला लेने के अधिकतम नौ घंटे के भीतर तात्कालिक रक्षा उपाय को लागू करेगी।
ग. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई तात्कालिक रक्ष उपाय का समानांतर मूल्यांकन करेगी।
घ. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई उक्त मामले और अपना गए उपाय के बारे में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद को सूचित करेगी।
च. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई उक्त मामले को जोखिम मूल्यांकन इकाई को अग्रसारित करेगी ताकि सामान्य प्रक्रियाओं के तहत सुरक्षा की योजना को तय किया जा सके।

11. सामान्य प्रक्रिया- एक बार मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई ने तय कर लिया कि सामान्य प्रक्रिया अपनायी जानी है, ऐसे में

क. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया वाली इकाई उक्त मामले को जोखिम मूल्यांकन इकाई को अग्रसारित करेगी ताकि सुरक्षा की योजना को तय किया जा सके।
ख. जोखिम मूल्यांकन इकाई जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करेगी, जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि आवेदक या संभावित लाभार्थी को कितना जोखिम है और उसके लिए बचावकारी उपायों की जरूरत है या सुरक्षात्मक उपायों की। ऐसे अध्ययन में हमेशा लैंगिक परिप्रेक्ष्य तथा समता व अभेदभाव के सिद्धांत को संज्ञान में लिया जाना होगा। जोखिम मूल्यांकन इकाई इस अध्ययन को प्रशसकीय बोर्ड तक आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर अग्रसारित करेगी।
ग. प्रशासकीय बोर्ड जोखिम मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर उसकी प्राप्ति के अधिकतम एक सपताह के भीतर सुरक्षा योजना पर फैसला लेगा।
घ. प्रशासकीय बोर्ड कुछ मामलों को अपवनी समझ के अनुसार जांच के लिए विशेष जांच इकाई को भी भेज सकता है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से जुड़े मामले, जिनमें प्रभावित पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक के उत्पीड़न, धमकी, जोर-जबर और उस पर हमले में उनकी संलिप्तता या

मिलीभगत संदिग्ध हो, विशेष जांच इकाई को भेजे जा सकते हैं। विशेष जांच इकाई उक्त मामले पर अपनी रिपोर्ट अधिकतम दो माह के भीतर जमा कराएगी और ऐसे मामले में रिपोर्ट प्रापत होने के अधिकतम सात दिनों के भीतर सुरक्षा योजना तय कर ली जानी चाहिए।

च. प्रशासकीय बोर्ड सुरक्षा योजना की सूचना राष्ट्रीय परिषद को भेजने के कम से कम 48 घंटे पहले जोखिम मूल्यांकन अध्ययन और सुरक्षा योजना का्रे आवेदक या लाभार्थी के साथ साझा करेगा ताकि याचिकाकर्ता या लाभार्थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके और उस पर अपनी सूचित सहमति प्रदान कर सके। यदि संभावित लाभार्थी किसी गंभीर परिस्थिति के चलते अपनी सहमति दे पाने में असमर्थ हो, तो ऐसे में सहमति के लिए उसके प्रत्यक्ष परिजन से संपर्क किया जाना चाहिए और जैसे ही संभव हो, लाभार्थी की सहमति तत्काल ले ली जानी चाहिए।

छ. प्रशासकीय बोर्ड अपने संकल्पों को कार्यकारी परिषद तक अग्रसारित करेगा ताकि उस पर क्रियान्वयन हो सके।

ज. कार्यकारी परिषद प्रशासकीय बोर्ड की ओर से संकल्पों की प्राप्ति के अधिकतम 72 घंटे के भीतर अपने संकल्पों और फैसलों को उपयुक्त अधिकारियों व राज्य सरकार को भेजेगी।

झ. कार्यकारी परिषद बचावकारी या सुरक्षात्मक उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। वह इस संबंध में हुई प्रगति से प्रशासकीय बोर्ड को अवगत कराएगी।

त. प्रशासकीय बोर्ड और कार्यकारी परिषद मामले से जुड़ी जानकारी, उपाय, क्रियान्वयन आदि की सूचना बचाव, फालो-अप और विश्लेषण की इकाई को देंगे।

12. प्रशासकीय बोर्ड

(1) इस कानून की धारा 6 में वर्णित अधिकारों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए प्रशासकीय बोर्ड मुख्य इकाई है। प्रशासकीय बोर्ड विशिष्ट रूप से

क. बचावकारी उपायों और सुरक्षात्मक उपायों का निर्देश दे सकता है, उनका मूल्यांकन कर सकता है, उन्हें वापस ले सकता है और जरूरी जान पड़ने पर उनमें संशोधन कर सकता है।

ख. तात्कालिक बचावकारी उपायों का मूल्यांकन कर सकता है, वापस ले सकता है और संशोधन कर सकता है।

(2) इस इकाई द्वारा जारी किए गए संकल्प राज्य सरकार के अन्य घटकों और स्थानीय अधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे जिनका हस्तक्षेप इस कानून में दिए गए उपायों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

13. सदस्यों की संरचनाः

(1) प्रशासकीय इकाई में 8-12 सदस्य होंगे, जिनमें निम्न के प्रतिनिधि शामिल होंगेः

क. गृह विभाग

ख. प्रेस के सदस्य

ग. राज्य मानवाधिकार आयोग

घ. मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नागरिक समाज के संगठन
च. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश

14. प्रशासकीय बोर्ड की कार्यविधि
(1) प्रशासकीय बोर्ड की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधि प्रशासकीय बोर्ड का सचिव होगा। किसी भी मौके पर बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या का आधे से ज्यादा गृह विभाग से नहीं होगा। इसके अलावा हमेशा कम से कम 2 सदस्य प्रेस से और 2 अन्य नागरिक समाज संगठनों के नुमाइंदे इसमें शामिल रहेंगे, जिन्होंने फील्ड में कम से कम सात साल तक काम किया हो और जिन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकार रक्षकों की रक्षा करने का तजुर्बा हो।
(2) प्रशासकीय बोर्ड जरूरत के अनुसार अपनी बैठक आयोजित करेगा जो एक महीने में कम से कम तीन बार होनी ही चाहिए। इन बैठकों के बीच की अवधि में कार्यकारी परिषद प्रशासकीय बोर्ड के फैसलों को लागू करेगी।
(3) प्रशासकीय बोर्ड मामले दर्ज करने औी तीव्र प्रतिक्रिया की इकाई, जोखिम मूल्यांकन इकाई, बचाव, फॉलो-अप और विश्लेषण इकाई और विशेष जांच इकाई का गठन करेगा। प्रत्येक इकाई में पांच वरिष्ठ अफ़सर होंगे जिन्हें सरकार के विभिन्न विभागों से लाकर यहां तैनात किया जाएगा। इन अधिकारियों में मानवाधिकारों की रक्षा के मसले पर अनुभव, प्रशिक्षण और परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड उपयुक्त नियम बना सकता है।
(4) प्रशासकीय बोर्ड आवेदकों और लाभार्थियों की शिकायतें भी सुनेगा जो कि आयोग की कार्यविधि के अनुरूप ही होगा।

15; कार्यकारी परिषद- कार्यकारी परिषद का काम प्रशासकीय बोर्ड के फैसलों को लागू करना है।

(1) यह आयोग की एक स्थायी इकाई होगा और आश्वयकता के मुताबिक अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जो कि सप्ताह में कमसे कम दो बार होनी ही चाहिए।
(2) परिषद प्रशासकीय बोर्ड के निर्देशों, दिशानिर्देशों और संकल्पों को संबद्ध अधिकारियों तक सम्प्रेषित करेगा और पृष्ठपेषण (फॉलो-अप) भी मुहैया कराएगा।
(3) इसके सदस्यों में मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया इकाई, जोखिम मूल्यांकन इकाई, बचाव, फॉलो-अप और विश्लेषण इकाई तथा विशेष जांच इकाई से प्रत्येक दो सदस्य शामिल होंगे और इनकी अध्यक्षता आयोग का सचिव करेगा।

16. मामले दर्ज करने और तीव्र प्रतिक्रिया इकाई- यह इकाई निम्न के लिए जिम्मेदार है-
क. आयोग के संज्ञान हेतु आवेदन प्राप्त करना, आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मामलों पर उससे सूचना प्राप्त करना तथा पुलिस से ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त करना जहां किसी पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक की गिरफ्तारी आसन्न हो।

ख. तत्काल कार्रवाई का अध्ययन करना जिससे पता लग सके कि उक्त मामले में सामान्य या असामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता है।
ग. तात्कालिक सुसुरक्षात्मक उपायों को परिभाषित और क्रियान्वित करना।

17. जोखिम मूल्यांकन इकाई- यह इकाई निम्न के लिए जिम्मेदार है:
क. जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए
ख. बचावकारी और सुसुरक्षात्मक उपायों को परिभाषित करने के लिए
ग. बचावकारी और सुसुरक्षात्मक उपायों पर पृष्ठपेषण के लिए तथा इनमें संशोधन, जारी रखने या समाप्ति इत्यादि की सिफारिश के लिए।

18. बचाव, फॉलो-अप और विश्लेषण इकाई- यह इकाई निम्न के लिए जिम्मेदार है:
क. बचावकारी उपाय और सार्वजनिक नीतियां प्रस्तावित करने के लिए
ख. आयोग के बारे में सूचना को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए
ग. उपायों की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए

19. विशेष जांच इकाई- यह इकाई निम्न के लिए जिम्मेदार है:
क. मामलों की जांच करने के लिए, खासकर उन मामलों में जहां किसी पत्रकार/संबद्ध पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक पर हमले के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हुई है
ख. प्रशासकीय बोर्ड को समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मुहैया कराने के लिए

विविध प्रावधान

20. नुकसान की भरपाई और मुआवजे का भुगतान- इस कानून में वर्णित बचावकारी और सुसुरक्षात्मक उपायों में पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक पर किसी हमले की सूरत में उसको हुए जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य इत्यादि के नुकसान की भरपाई और मौद्रिक मुआवजे के भुगतान समेत आवश्यकतानुसार पुनर्वास का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से शामिल है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार उक्त पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक पर हमले के बाद उसके सभी चिकित्सीय व्यय समेत आवश्यकतानुसार पुनर्वास का वहन करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। सरकार यह राशि हमला करने के दोषी पाए गए व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूल सकती है।

21. विशेष अदालतें

(1) तीव्र सुनवाई के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत का दरजा दे सकती है, इससे पहले कि किसी

पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक पर हुएहमले से जुड़े सारे मामलों या उन मामलों की सुनवाई शुरू हो जिनमें पत्रकार या मानवाधिकार रक्षक आपराधिक आरोप झेल रहा हो।
(2) उपधारा (1) में वर्णित अपराध की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत इसी मुकदमे के साथ ऐसे अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकती है जिसका दोष आरोपी पर हो (उपधारा (1) में वर्णित अपराध से अलग)।

22. तरजीही संवाद: मौजूदा वक्त में नागू किसी कानून से इतर किसी भी पत्रकार या संबद्ध पत्रकार को समाचार एकत्रित करने की प्रक्रिया में संलग्न होने के दौरान किसी भी अदालत, किसी भी अधिकरण के प्रमुख या विधायिका की किसी भी समिति के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही या सुनवाई के दौरान उसके द्वारा हासिल व अखबार, पत्रिका या वेबसाइट पर प्रकाशित, किसी प्रसारण केंद्र द्वारा प्रसारित या किसी टेलीविज़न केंद्र द्वारा प्रसारित सूचना के स्रोत का उद्घाटन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जहां से वह जुड़ा हो या जहां का वह कर्मचारी हो।